संः 458 / IV(2)-श0वि0–09–14(एन0यू0आर0एम0) / 08

प्रेषक,

अनूप वधावन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 : देहरादूनः दिनांक 31 जुलाई, 2009

विषयः– जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के उप मिशन बी0एस0यू0पी0 के अन्तर्गत हरिद्वार शहर के पाण्डेवाला में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु अतिरिक्त लागत की वित्तीय एवं प्रशासनिक तथा व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 268 / श0वि0नि0 / जेएनएनयूआरएम–बीएसयूपी / 08–09 दिनांक 23–3–2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जेएनएनयूआरएम के उप मिशन बीएसयूपी के अन्तर्गत पाण्डेवाला, हरिद्वार में आवास तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 रू0 361.99 लाख में स्वीकृत सभी कार्य पूर्ण न होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित प्राक्कलन रू0 462.77 लाख पर स्वीकृत प्रदान करने की अपेक्षा की गयी है। उक्त पुनरीक्षित प्राक्कलन का टी0ए0सी0 द्वारा तकनीकी परीक्षणोपरान्त रू0 434.90 लाख संस्तुत किये गये है।

अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार पुनरीक्षित लागत के क्रम में अतिरिक्त लागत **रू0 72.91 लाख (रूपये बहत्तर लाख इक्नावें हजार मात्र)** की धनराशि के व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर सम्बधित कार्यदायी संस्था **अधीक्षण अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून** को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. शासनादेश संख्या 558 / IV(2)–श0वि0–08–14(एन0यू0आर0एम0) / 08 दिनांक 23–8–2009 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अनुसार कार्य तत्काल प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
3. उक्त अतिरिक्त लागत के अतिरिक्त अब कोई पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।
4. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑट रेट्स में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता / सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
5. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
6. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

7. एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
9. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली–भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात् दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।
10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
11. आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
12. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नही किया जायेगा।
13. निर्माण इकाई से कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व शासनादेश संख्या 475/XXXVII(7)/2008 दिनांक 15–12–2008 की व्यवस्थानुसार मानक अनुबन्ध निष्पादित करा लिया जायेगा।
14. जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत उप मिशन बी0एस0यू0पी0 की भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
15. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजनान्तर्गत अपेक्षित सुधारों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
16. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करानी होगी। जिसमें कि भौतिक प्रगति का स्पष्ट उल्लेख होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी और उसके अभियंता पूर्ण रूपेण उत्तरदायी होंगे।
17. कार्य पूर्ण होने पर इसे वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र भी राज्य सरकार को प्रेषित करा दिया जायेगा। योजना के लिए स्वीकृत धनराशि का मासिक व्यय विवरण भी शासन को प्रेषित किया जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2010 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा और उपयोग का उक्त विवरण उपलब्ध कराने के बाद ही आगामी किस्त अवमुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा।
18. कार्य को भारत सरकार के द्वारा दी गई प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति की सीमा के अन्तर्गत ही पूर्ण किया जायेगा। इस लागत में कोई वृद्धि वित्त पोषण के पैर्टन से इतर राज्य सरकार के द्वारा अनुमन्य नहीं होगी।
19. उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष–2009–10 के आय–व्ययक के अनुदान सं0–13, लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–06–बेसिक सर्विसेज टू अरबन पुअर्स योजना–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जायेगा।
20. चूंकि भारत सरकार से पुरानी दरों के आधार पर रू0 361.99 लाख की योजना स्वीकृत हुई थी जबकि स्वीकृति की तिथि को दरें बदल चुकी थी, अतः भारत सरकार से समुचित आधार पर पुनरीक्षित लागत पर अनुमोदन प्राप्त करने की कार्यवाही तत्काल की जाये।

21. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने में हुए विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाय तथा भविष्य में ऐसा न हो, इसके समुचित उपाय किये जायें।

22. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0स0–72/XXVII(2)/2009, दिनांक– 17 जुलाई, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अनूप वधावन)
सचिव।

458

सं0 मा0स0– (1)/IV(2)-स0वि0-08,तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– निजी सचिव, मा0 नगर विकास मंत्री जी (मा0 मुख्यमंत्री जी)।
4– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7– वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9– मुख्य अभियन्ता, (ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
10– अधीक्षण अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
11– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, हरिद्वार।
12– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, हरिद्वार।
13– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
14– गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।